रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रतनलाल बनाम स्टेट रा.प्रा.स. 6/2019	
8.2019	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी /प्रार्थी द्वारा रोही मौजाकिस्तूरिया के खाता संख्या ....के ख.न. ....रकबा............बीघा भूमि को भू–प्रवधं विभाग द्वारा सर्वे के दौरान तैयार रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है अतः उक्त रकबा प्रार्थी /वादी के नाम पुनः पूर्व की भांति दर्ज कर नक्शा में तालीम हेतु दुरस्ती का दावा/प्रार्थाना पत्र पेश किया वादी/प्रार्थी की उक्त भूमि इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 452 दिनांक 21.06.2019 द्वारा इस प्रकार प्रकरणो में तहसीलदार लूनकरनसर की अभिशंसा पर पुनः पूर्व की भांति जमाबंदी में दर्ज कर नक्शा में तहरीर के आदेश जारी किये जा चुके है। अतः इस पत्रावली में कार्यावाही निरन्तर रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता। लिहाजा पत्रावली इसी स्तर पर निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली इस्तदायरा दाखिल दफतर हो।	

Scanned by CamScanner